संख्या:37/2020/765 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2020

विषय:-गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी.एम.-।(ए) दिनांक 01.05.2020 के अंतर्गत दिनांक 17.05.2020 तक विस्तारित लाकडाउन के दौरान दिनांक 04.05.2020 से प्रभावी होने वाली छूटों के क्रम में आबकारी विभाग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या:-381/2020/सीएक्स-3, दिनांक 03.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करे। तदक्रम में अवगत कराना है कि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-276/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 03.05.2020 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डी.एम.-।(ए) दिनांक 01.05.2020 के अंतर्गत दिनांक 17.05.2020 तक विस्तारित लाकडाउन के दौरान दिनांक 04.05.2020 से प्रभावी होने वाली छूटों के क्रम में आबकारी विभाग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त बार अनुज्ञापनों एवं समस्त शापिंग माल्स में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़ कर मदिरा एवं भांग की एकल(Stand alone) फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का संचालन Red zones (outside Hotspots/Containment zones), Orange zones (outside Hotspots/Containment zones) एवं Green zones में प्रारम्भ किया जाए। Hotspots/Containment zones के बाहर स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स सहित सी.एस.डी. कैण्टीनों के एफ.एल.-9 एवं 9ए अनुज्ञापनों तथा थोक एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का संचालन निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा:-

(1) समस्त फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों के संचालन की अवधि प्रातः 10:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक होगी।

(2) किसी भी फुटकर दुकान पर किसी भी समय 5 ग्राहकों से अधिक उपस्थित नहीं होंगे और उपस्थित ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

(3) फुटकर विक्रेताओं एवं ग्राहकों के लिये फेस मास्क अथावा फेस कवर अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) फुटकर दुकान एवं इसके आस-पास अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान निषिद्ध होगा। ऐसा पाये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) संबंधित समस्त अनुज्ञापनों पर साफ-सफाई, हैण्ड सैनिटाइजर, इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं माडल-शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा नहीं होगी तथा इससे संबंधित दुकान के अंदर की खान-पान की कैण्टीने बंद रहेंगी।

(7) समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों पर शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 की रोक-थाम हेतु निर्गत दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या:-34/2020/745ई-2/तेरह-2020-01/2020, दिनांक 22.04.2020 के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त अनुज्ञापनों/दुकानों का संचालन उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा तथा उक्त शासनादेश दिनांक 22.04.2020 में उल्लिखित सात कार्यदिवस का प्रारम्भ संबंधित अनुज्ञापनों जो containment zones के बाहर स्थित है, के संबंध में दिनाक 04.05.2020 से होगा। कोई आबकारी दुकान containment zones में है या नहीं इसका निर्धारण संबंधित जिले के जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, वही निर्णय अन्तिम होगा। containment zones का पुनर्निर्धारण सक्षम प्राधिकारी से होने की स्थिति में प्रभावित दुकानों की सात कार्यदिवस की गणना पुनर्निर्धारण की तिथि से मानी जाएगी।

4. सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा-पान का उपभोग निषिद्ध होगा। प्रकरण में विस्तृत विवरण हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या:-381/2020/सीएक्स-3, दिनांक 03.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का आवश्यकतानुसार संदर्भ लिया जाना अपेक्षित होगा।

तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

संख्या:37/2020/765(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र. प्रयागराज को इस आशय प्रेषित कि वह अपने स्तर से प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।